संख्या: 29/2025/367/छप्पन-2025-31/2016(Stage-2A)टी0सी0-1

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

2. निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 10 मार्च, 2025

विषय: नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 305/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0अ0ए0जे0/गौतमबुद्धनगर दिनांक 17 फरवरी, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित 14 ग्रामों थोरा, नीमका शाहजहांपुर, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीबांस, पारोही, मुकीमपुर शिवारा, जेवर बांगर, साबौता मुस्तफाबाद, अहमदपुर चौरौली, दयानतपुर, बंकापुर व रोही की 1888.9088 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु अनुमानित धनराशि रू0 86,91,19,05,032.96 (छियासी अरब इक्यानवे करोड़ उन्नीस लाख पांच हजार बत्तीस रूपये छियानवे पैसे) का बजट प्राविधान करने का अनुरोध किया गया है।

2- नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/ फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद की दिनांक 10 मार्च, 2025 को सम्पन्न बैठक में निम्न निर्णय लिए गए हैं:-

(1) जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए 1888.9088 हैक्टेयर भूमि के अर्जन/ अधिग्रहण के लिए ₹ 4300/- मात्र (प्रतिकर ₹ 3100/- + ऐक्सग्रेशिया ₹ 1200/- अर्थात् बाजार मूल्य ₹ 1550/- + तोषण ₹ 1550/- + ऐक्सग्रेशिया ₹ 1200/-) प्रति वर्गमीटर (तोषण सहित) की दर से कुल अनुमानित प्रतिकर रू0 86,91,19,05,032.96 (छियासी अरब इक्यानवे करोड़ उन्नीस लाख पांच हजार बत्तीस रूपये छियानवे पैसे) को पूर्णांकित करते हुए रू0 86,91,19,05,033 (रूपये छियासी अरब इक्यानवे करोड़ उन्नीस लाख पांच हजार तैंतीस) के व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए अर्जन/अधिग्रहण/क्रय/पुनर्ग्रहण/विनिमय/अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि के अन्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न शासकीय विभागों की परिसम्पित्तयों/अवरोधों/ अवसंरचनाओं के विस्थापन, डायवर्जन तथा नव-निर्माण से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किए जाने तथा शासकीय विभागों द्वारा अपनी भूमि एवं परिसम्पत्तियॉ इत्यादि नि:शुल्क रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराए जाने/अन्तरित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन (R&R) हेतु आवश्यक धनराशि का वास्तविक ऑकलन जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर से प्राप्त होने पर इसके प्रशासकीय तथा वित्तीय अनुमोदन हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4) राज्य सरकार द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करने तथा भूमि को नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लि0(NIAL) को लीज पर दिए जाने तथा एयरपोर्ट के विस्तार आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रबन्धन (यथाप्रक्रिया लीज पर अथवा किसी अन्य प्रकार से) का अधिकार 90 वर्षों के लिए नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लि0(NIAL) को प्रदान किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-

"जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) हेतु आवश्यक भूमि का अर्जन/ अधिग्रहण/क्रय/पुनर्ग्रहण/विनिमय/अन्तरण कर इसे राज्य सरकार के पक्ष में "**श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ"** के नाम दर्ज किया जाएगा तथा भूमि अर्जन/अधिग्रहण/क्रय/पुनर्ग्रहण/ विनिमय/अन्तरण के लिए आवश्यक धनराशि अंशधारिता के अनुपात में सभी अंशधारकों द्वारा सीधे जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को हस्तान्तरित की जाएगी।"

(5) नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए भूमि अधिग्रहण से विस्थापित कुटुम्बों के स्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर के 07 ग्रामों (जेवर बांगर, सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर, फलैदा बांगर, करौली बांगर, तिरथली, धनपुरा व मेहन्दीपुर बांगर) की 189.7622 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा-11(1) के अधीन प्रकाशित/निर्गत अधिसूचना संख्या 106/2024/2050/ छप्पन-2024-31/2016(Stage-2)ए दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(6) शासनादेश संख्या 104/2024/1767/छप्पन-2024-31/2016(Stage-2) दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 द्वारा नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/ फेज-1) के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु स्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि 189.7622 है0 के सापेक्ष अनुमानित प्रतिकर की धनराशि रू0 6,16,17,19,006/- (रूपये छ: अरब सोलह करोड़ सत्रह लाख उन्नीस हजार छ: मात्र) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त धनराशि में से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 2,31,06,44,627/- (रूपये दो अरब इकत्तीस करोड़ छ: लाख चौवालीस हजार छ: सौ सत्ताइस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(7) परियोजना के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

पृ0सं0- 29/2025/367(1)/छप्पन-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/कार्मिक/नियोजन/गृह/राजस्व/ग्राम्य विकास/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/आवास एवं शहरी नियोजन/नगर विकास/लोक निर्माण/सिंचाई एवं जल संसाधन/बाल विकास एवं पुष्टाहार/महिला कल्याण/ऊर्जा/पंचायती राज/ सहकारिता/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पर्यटन/धर्मार्थ कार्य/उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।
6. निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7. विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया)/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।